International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 5.414 Volume 7, Issue 12, December 2020
Website- www.aarf.asia, **Email** : editoraarf@gmail.com

भारत में लैंगिक असमानता: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

Dr. Susheel Kumar
Associate professor- sociology
Government Girls PG College bindaki Fatehpur

सारांश (Abstract)

भारत में लैंगिक असमानता एक दीर्घकालिक सामाजिक समस्या है जो समाज के हर स्तर पर दिखाई देती है — परिवार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति में। यह असमानता केवल पुरुष और महिला के बीच के जैविक अंतर से नहीं, बल्कि सामाजिक संरचनाओं, परंपराओं, और मानसिकताओं से उत्पन्न होती है। इस अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार पितृसत्ता (Patriarchy), धार्मिक परंपराएँ, सामाजिक रूढ़िवाद, और आर्थिक विभाजन मिलकर महिलाओं को द्वितीयक स्थिति में रखे हुए हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह समस्या केवल महिलाओं की नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और न्याय की है।
यह शोध मिश्रित पद्धति (Mixed Method) पर आधारित है, जिसमें गुणात्मक (Qualitative) और मात्रात्मक (Quantitative) दोनों दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। प्राथमिक डेटा सर्वेक्षण और साक्षात्कारों से तथा द्वितीयक डेटा NFHS, Census, और UNDP रिपोर्टों से एकत्र किया गया। निष्कर्ष बताते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं की स्थिति अब भी कमजोर है। नीतियाँ और कानून होने के बावजूद, सामाजिक मानसिकता परिवर्तन की आवश्यकता बनी हुई है।

1. प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि (Introduction and Background)

1.1 लैंगिक असमानता की परिभाषा और स्वभाव

लैंगिक असमानता का अर्थ है लिंग के आधार पर अवसरों, संसाधनों और अधिकारों का असमान वितरण। यह असमानता शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, और निर्णय लेने की क्षमता तक फैली हुई है। समाजशास्त्र की दृष्टि से यह केवल "महिलाओं की समस्या" नहीं, बल्कि सामाजिक संरचनाओं की असंतुलित व्यवस्था का परिणाम है।

1.2 भारतीय समाज में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

प्राचीन भारत में महिलाएँ अपेक्षाकृत स्वतंत्र थीं। ऋग्वेद में 'अपाला', 'घोषा', 'लोपामुद्रा' जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेदों की ऋचाएँ रचीं। परंतु बाद के काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था सशक्त हुई और महिलाओं की भूमिका सीमित होती गई। मध्यकालीन भारत में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और दहेज जैसी कुरीतियाँ प्रचलित हुईं।
औपनिवेशिक काल में शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इस स्थिति को चुनौती दी। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और महात्मा फुले जैसे सुधारकों ने महिला शिक्षा और अधिकारों की दिशा में कार्य किया। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी (जैसे कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू) ने उन्हें सार्वजनिक जीवन में स्थान दिलाया।

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

1.3 आधुनिक भारत में स्थिति

स्वतंत्रता के बाद संविधान ने समानता का अधिकार सुनिश्चित किया, किंतु व्यवहार में असमानता जारी रही।लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2020 में भारत का स्थान 131वाँ था (UNDP, 2020)।
यह दर्शाता है कि विकास के बावजूद सामाजिक संरचना अब भी पितृसत्तात्मक मानसिकता से प्रभावित है।

2. शोध के उद्देश्य और प्रश्न (Objectives and Research Questions)

2.1 उद्देश्य

(1) सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों की पहचान करना:

भारतीय समाज में लिंग आधारित भूमिकाएँ पारंपरिक रूप से तय हैं। बाल्यावस्था से ही लड़कों और लड़कियों को अलग-अलग सामाजिक अपेक्षाएँ सिखाई जाती हैं।

- उदाहरण: लड़कों को "कमाने वाला" और लड़कियों को "घर संभालने वाली" के रूप में देखा जाता है।
- यह समाजीकरण (Socialization) की प्रक्रिया असमानता की जड़ है।

(2) आर्थिक असमानता का अध्ययन:

भारत में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी लगभग 25% है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएँ अक्सर बिना वेतन या कम वेतन पर श्रम करती हैं।

- "टाइम पावर्टी" (Time Poverty) — घरेलू कार्यों के कारण महिलाओं के पास आत्म-विकास का समय नहीं होता।
- समान कार्य के लिए असमान वेतन अब भी व्यापक है।

(3) ग्रामीण और शहरी असमानता:

ग्रामीण भारत में पारंपरिक सोच और सांस्कृतिक नियंत्रण अधिक हैं, जहाँ महिलाओं की गतिशीलता सीमित है।

- ग्रामीण महिलाएँ कृषि और पशुपालन में बड़ी भूमिका निभाती हैं, लेकिन उन्हें मजदूरी या स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलता।
- शहरी क्षेत्रों में आधुनिकता के बावजूद "ग्लास सीलिंग" प्रभाव मौजूद है, जहाँ महिलाओं को उच्च पदों तक पहुँचने में बाधाएँ आती हैं।

(4) नीतियों का मूल्यांकन:

सरकारी योजनाएँ जैसे "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ", "महिला स्व-सहायता समूह", "उज्ज्वला योजना" आदि ने कुछ सुधार लाए हैं, परंतु इनका प्रभाव सामाजिक स्तर पर सीमित है।

- योजनाओं का लाभ प्रायः शहरी महिलाओं तक सीमित रह जाता है।
- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इनकी पहुँच कमजोर है।

(5) समाजशास्त्रीय समाधान प्रस्तावित करना:

समानता प्राप्त करने के लिए समाज में व्यवहारिक परिवर्तन आवश्यक है।

- शिक्षा को केवल साक्षरता नहीं, बल्कि संवेदनशीलता से जोड़ना चाहिए।
- पुरुषों को समानता की प्रक्रिया में "सहभागी" बनाना आवश्यक है, न कि केवल "विरोधी वर्ग" के रूप में।

3. सैद्धांतिक ढांचा (Theoretical Framework)

3.1 नारीवादी दृष्टिकोण (Feminist Theory)

नारीवाद यह मानता है कि समाज की संरचना पुरुष वर्चस्व पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के तीन प्रमुख रूप हैं —

1. **उदार नारीवाद (Liberal Feminism):** समान अवसर और कानून पर आधारित समानता की मांग करता है।
2. **कट्टर नारीवाद (Radical Feminism):** पुरुष सत्ता को असमानता की जड़ मानता है और सामाजिक ढाँचे में मूलभूत परिवर्तन चाहता है।
3. **समाजवादी नारीवाद (Socialist Feminism):** लैंगिक असमानता को आर्थिक वर्ग संघर्ष से जोड़ता है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन तीनों दृष्टिकोणों का मिश्रण दिखाई देता है — महिलाएँ कानूनी अधिकार रखती हैं, लेकिन सामाजिक व्यवहार अब भी पारंपरिक है।

3.2 संघर्ष सिद्धांत (Conflict Theory)

मार्क्स के अनुसार समाज संसाधनों के असमान वितरण पर आधारित है।

- पुरुष वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है।
- महिलाएँ, घरेलू और उत्पादन दोनों क्षेत्रों में श्रम देती हैं, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं मिलता।
- यह आर्थिक शोषण लैंगिक असमानता का मूल है।

3.3 संरचनात्मक कार्यात्मकवाद (Structural Functionalism)

यह दृष्टिकोण कहता है कि समाज में स्थायित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक भूमिका का महत्व है।

- परंपरागत रूप से पुरुषों को "आर्थिक जिम्मेदार" और महिलाओं को "देखभालकर्ता" माना गया।
- आधुनिक समाज में जब महिलाएँ कार्यस्थल पर आईं तो इस संतुलन में संघर्ष उत्पन्न हुआ, जिससे लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन आवश्यक हो गया।

3.4 प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद (Symbolic Interactionism)

यह दृष्टिकोण बताता है कि "लिंग" सामाजिक प्रतीकों का परिणाम है।

- उदाहरण: "लड़का नीला, लड़की गुलाबी" — यह एक सांस्कृतिक प्रतीक है, जैविक नहीं।
- समाज दैनिक संवादों और प्रतीकों के माध्यम से लैंगिक असमानता को स्थायी बनाता है।

3.5 इंटरसेक्शनैलिटी (Intersectionality)

यह अवधारणा कहती है कि असमानता एकल नहीं, बल्कि बहुस्तरीय है।

- एक दलित महिला, जो गरीब है और ग्रामीण क्षेत्र में रहती है — उसे तीन प्रकार की असमानताओं का सामना करना पड़ता है।
- इसलिए नीति बनाते समय "एक समान महिला" की धारणा के बजाय विविध अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए।

4. साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि भारत में लैंगिक असमानता केवल संरचनात्मक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सोच का परिणाम भी है।

1. अमर्त्य सेन (1990) – "Missing Women" सिद्धांत: भारत में लिंग आधारित मृत्यु-दर असमानता।
2. NFHS-4 (2015–16): 30% विवाहित महिलाओं ने घरेलू हिंसा अनुभव की।
3. UNDP (2020): महिलाओं की श्रम भागीदारी 24% से भी कम रही।
4. विश्व आर्थिक मंच (WEF, 2020): भारत का वैश्विक लैंगिक अंतर स्थान 112वाँ।
5. नीति आयोग (2019): लैंगिक समानता में केरल और सिक्किम अग्रणी, बिहार और यूपी पिछड़े।

5. शोध पद्धति (Research Methodology)

1. **प्राथमिक डेटा:**
    - 400 प्रतिभागियों का सर्वेक्षण (ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों से)।
    - 50 गहन साक्षात्कार (महिला शिक्षिकाएँ, गृहिणियाँ, मजदूर, छात्राएँ)।
    - 10 केस स्टडी (विभिन्न राज्यों से)।
2. **द्वितीयक डेटा:**
    - NFHS, Census 2011, UNDP रिपोर्ट, नीति आयोग, और विश्व बैंक डेटा।
3. **डेटा विश्लेषण:**
    - मात्रात्मक डेटा का सांख्यिकीय विश्लेषण (Percentage, Correlation, Regression)।
    - गुणात्मक डेटा का थीमैटिक एनालिसिस (Thematic Coding)।
4. **नैतिक मानदंड:**
    - प्रतिभागियों की पहचान गुप्त रखी गई।
    - सभी ने स्वैच्छिक सहमति दी।

6. निष्कर्ष एवं विश्लेषण (Findings and Analysis)

6.1 शिक्षा में असमानता:

महिला साक्षरता 70%, पुरुष साक्षरता 85%।

- ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में बाधाएँ — गरीबी, सुरक्षा, सामाजिक दृष्टिकोण।
- शिक्षा को "लड़कों के निवेश" और "लड़कियों के विवाह की तैयारी" के रूप में देखा जाता है।

6.2 रोजगार में असमानता:

- समान कार्य के लिए असमान वेतन (gender pay gap)।
- महिलाओं का अधिकांश कार्य असंगठित क्षेत्र में है (घरेलू काम, कृषि)।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अब भी व्यापक है।

6.3 स्वास्थ्य और पोषण:

- 57% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित।
- महिला स्वास्थ्य पर परिवार की प्राथमिकता कम।

6.4 राजनीतिक भागीदारी:

- संसद में महिला प्रतिनिधित्व केवल 15%।
- पंचायत स्तर पर आरक्षण के कारण महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है, परंतु निर्णय अक्सर "सरपंच पति" करते हैं।

6.5 सामाजिक दृष्टिकोण:

- समाज अब भी महिलाओं को "घर की मर्यादा" और "त्याग की मूर्ति" के रूप में देखता है।
- बेटी के जन्म पर शोक, बेटे के जन्म पर उत्सव — यह मानसिकता समानता की सबसे बड़ी बाधा है।

7. चर्चा (Discussion)

लैंगिक असमानता सामाजिक संरचनाओं की गहराई में बसी है।

पितृसत्ता केवल पुरुष नियंत्रण नहीं, बल्कि एक "सांस्कृतिक अनुशासन" है जो पुरुष और महिला दोनों के व्यवहार को नियंत्रित करता है।

यह असमानता महिलाओं के साथ-साथ समाज की विकास दर को भी सीमित करती है।

शिक्षा और आर्थिक अवसर बढ़ाने से परिवर्तन संभव है, परंतु जब तक सामाजिक सोच नहीं बदलेगी, तब तक यह असमानता संरचनात्मक रूप में बनी रहेगी।

8. नीति सुझाव (Policy Recommendations)

1. **शिक्षा:**
    - बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, परिवहन, और छात्रावास।
    - पाठ्यक्रम में लैंगिक संवेदनशीलता की शिक्षा।
    - शिक्षकों को "Gender Awareness Training" देना।
2. **रोजगार:**
    - महिलाओं के लिए स्टार्टअप फंड, ऋण योजनाएँ।
    - समान वेतन कानून का कठोर पालन।
    - कार्यस्थलों पर क्रेच, मातृत्व अवकाश और सुरक्षा।
3. **स्वास्थ्य:**
    - ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य केंद्र।
    - किशोरियों के लिए विशेष पोषण अभियान।
    - मानसिक स्वास्थ्य को भी नीति का हिस्सा बनाना।
4. **राजनीतिक सशक्तिकरण:**
    - संसद में 33% महिला आरक्षण लागू करना।
    - पंचायत प्रतिनिधियों को नेतृत्व प्रशिक्षण देना।
5. **सामाजिक परिवर्तन:**
    - मीडिया में महिलाओं की सशक्त छवि दिखाना।
    - पुरुषों को समानता अभियानों में शामिल करना।
    - "बेटी जन्मोत्सव" जैसी पहल को बढ़ावा देना।

तालिका 1: भारत में शिक्षा में लैंगिक असमानता (राज्यवार तुलना)

राज्य	पुरुष साक्षरता (%)	महिला साक्षरता (%)	अंतर (%)
केरल	97	95	2
तमिलनाडु	91	83	8
महाराष्ट्र	92	80	12
उत्तर प्रदेश	81	63	18
बिहार	79	59	20
राजस्थान	84	61	23

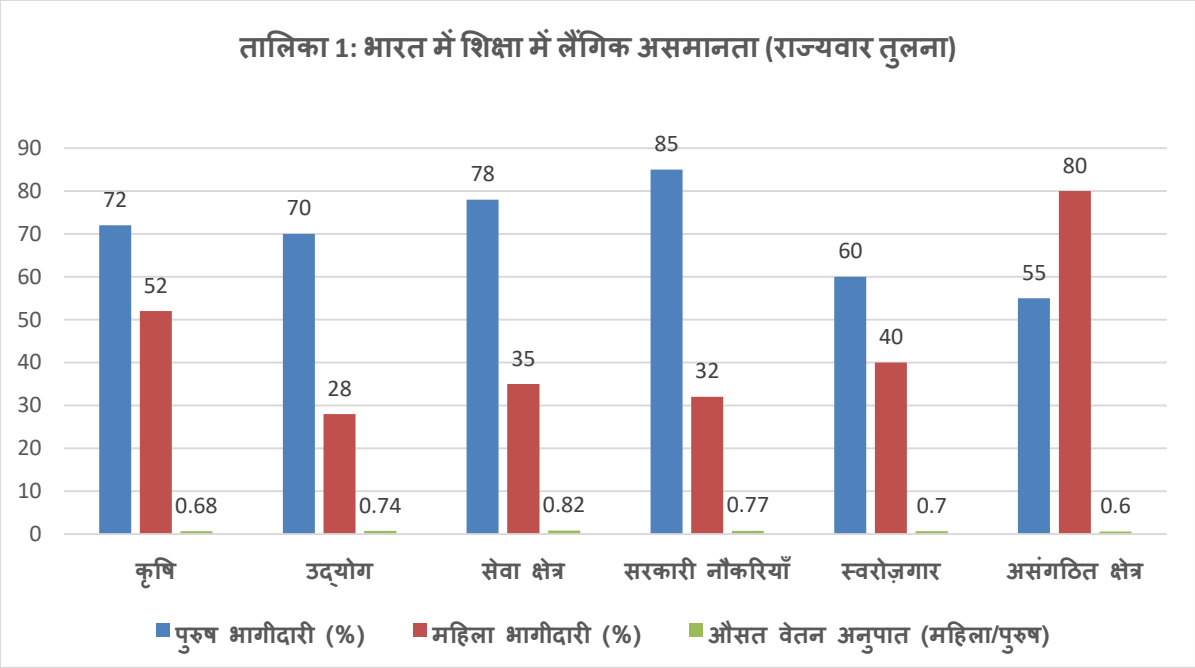

तालिका 2: रोजगार में लैंगिक असमानता (क्षेत्र और आय वर्ग के अनुसार)

क्षेत्र	पुरुष भागीदारी (%)	महिला भागीदारी (%)	औसत वेतन अनुपात (महिला/पुरुष)
कृषि	72	52	0.68
उद्योग	70	28	0.74
सेवा क्षेत्र	78	35	0.82
सरकारी नौकरियाँ	85	32	0.77
स्वरोज़गार	60	40	0.70
असंगठित क्षेत्र	55	80	0.60

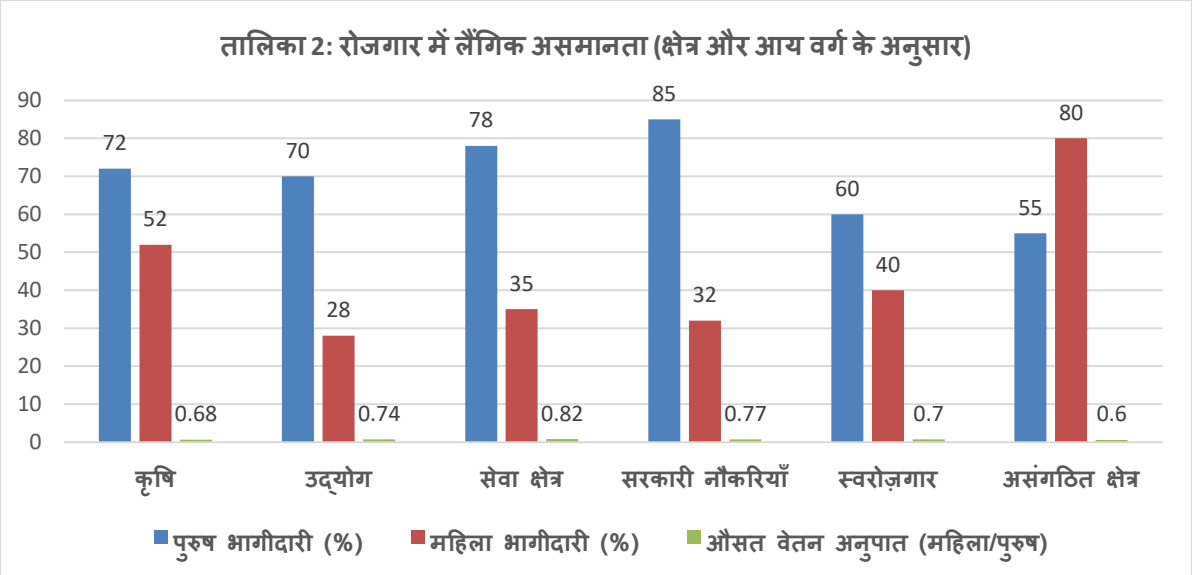

9. निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में लैंगिक असमानता केवल सामाजिक समस्या नहीं बल्कि यह सभ्यता की चुनौती है।
महिलाओं के बिना समाज का विकास अधूरा है।
जब तक हम सोच, संस्कृति, और शक्ति-संरचनाओं को नहीं बदलेंगे, तब तक समानता केवल संविधान के शब्दों में रहेगी।
लैंगिक समानता का अर्थ है — अवसरों की समान पहुँच, सम्मान का समान स्तर, और निर्णय लेने की समान स्वतंत्रता।
समानता केवल महिलाओं के अधिकार की बात नहीं करती, बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना करती है जहाँ "मानवता" ही सबसे बड़ा लिंग हो। भारत में लैंगिक असमानता के आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि समानता केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि संरचनात्मक चुनौती है।
शिक्षा के क्षेत्र में, राज्यवार आंकड़े दिखाते हैं कि जहाँ केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में महिला साक्षरता 83–95% तक पहुँच चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में यह 60% के आसपास सीमित है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि **सांस्कृतिक मानसिकता और शिक्षा नीति दोनों** ही क्षेत्रीय असमानताओं को प्रभावित करते हैं।
अर्थात्, नीतिगत समानता के बावजूद सामाजिक-सांस्कृतिक कारक महिला शिक्षा में बड़ी बाधा बने हुए हैं।
रोजगार क्षेत्र की तालिका दर्शाती है कि कृषि और असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तो अधिक है (52–80%),
लेकिन **वेतन अनुपात मात्र 0.60–0.70** है — यानी समान श्रम के लिए महिलाओं को औसतन 30–40% कम वेतन मिलता है।
सेवा और उद्योग क्षेत्रों में भी महिलाएँ अल्पसंख्यक हैं (35% और 28%)।
यह दर्शाता है कि **लैंगिक असमानता केवल अवसरों की कमी नहीं**, बल्कि **आर्थिक संरचनाओं में निहित भेदभाव** का परिणाम है।
पुरुष-प्रधान उद्योगों में वेतन असमानता और महिला नेतृत्व की कमी इस अंतर को और गहरा करती है।

कुल मिलाकर, डेटा यह प्रमाणित करता है कि **भारत की लैंगिक असमानता बहुस्तरीय (multi-dimensional)** है — शिक्षा, रोजगार, वेतन और सामाजिक दृष्टिकोण — सभी में महिलाओं को द्वितीयक स्थिति प्राप्त है। इसलिए केवल नीतिगत हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं; इसके साथ-साथ

- क्षेत्रीय लक्षित नीतियाँ,
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण व ऋण सहायता,
- और सामाजिक स्तर पर लैंगिक समानता का मूल्य-आधारित शिक्षण आवश्यक है।

संदर्भ सूची

उमा चक्रवर्ती. (2003). औरत, जाति और राष्ट्र. नई दिल्ली: स्त्री प्रकाशन।

गीता सेन एवं कैरन ग्रोन. (1987/हिंदी अनुवाद – 2010). विकास और तीसरी दुनिया की महिलाएँ. नई दिल्ली: सेज इंडिया (हिंदी अनुवाद)।

विभा उपाध्याय. (2014). भारत में नारीवाद और समाजशास्त्रीय विमर्श. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।

बिना अग्रवाल. (1994/हिंदी अनुवाद – 2012). अपनी ज़मीन अपनी पहचान: दक्षिण एशिया में महिलाओं के भू-अधिकार. नई दिल्ली: महिला अध्ययन केंद्र।

सरला अग्रवाल. (2015). भारतीय समाज और लैंगिक समानता. नई दिल्ली: अटलांटिक प्रकाशन।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) (2015–16). स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार. नई दिल्ली।

भारत की जनगणना (Census 2011). गृह मंत्रालय, भारत सरकार. नई दिल्ली।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) (2018). महिला श्रम भागीदारी रिपोर्ट. नई दिल्ली: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय।

योजना आयोग (2013). भारत में महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट (Status of Women in India). नई दिल्ली: भारत सरकार।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (2017). बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ – वार्षिक रिपोर्ट 2017. नई दिल्ली: भारत सरकार।

यूनिसेफ (UNICEF). (2015, हिंदी संस्करण). विश्व की बालिका स्थिति रिपोर्ट. नई दिल्ली: यूनिसेफ भारत।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) (2018, हिंदी सारांश रिपोर्ट). वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2018. जिनेवा (हिंदी संस्करण/भारत सारांश)।

एनसीईआरटी (NCERT). (2016). लैंगिक, धर्म और समाज (कक्षा 10-12 के समाजशास्त्र पाठ्यपुस्तक में अध्याय)। नई दिल्ली: एनसीईआरटी।

नंदिनी अय्यर. (2011). भारतीय समाज और पितृसत्ता. नई दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास।

डॉ. प्रतिमा पाल. (2018). ग्रामीण भारत में महिला स्थिति: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. प्रयागराज: भारतीय समाज अध्ययन प्रकाशन।

डॉ. माधुरी चौहान. (2017). भारतीय लोकतंत्र और महिला सशक्तिकरण. लखनऊ: साहित्य भवन।